1500 hours

Title: Discussions on the Insecticides (Amendment) Bill, 2000. (Bill passed.)

MR. CHAIRMAN : Now, we shall take up item no. 12 -- Insecticides (Amendment) Bill, 2000. Time allotted for this Bill is two hours.

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा) : सभापति महोदय, कीटनाशक अधिनियक, 1968 का उद्देश्य मानवों और पशुओं को खतरे से बचाने केलिए कीटनाशकों के उत्पादन या विक्रय या परिवहन या वितरण या उपयोग को नियंत्रित करने से संबंधित था। अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत हानिकारक कीटनाशकों को प्रतिबंधित करने का प्रावधान था, परन्तु 2 मई, 1977 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि धारा 3(e) की उपधारा 1 और 2 के अन्तर्गत कीटनाशकों को प्रतिबंधित करने का वर्तमान अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है। यह बात सही है कि प्रावधान नहीं है। इस कमी को दूर करने तथा अधिनियम के दंडात्मक प्रावधानों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कुछ धाराओं में संशोधन और उपधारा जोड़ने केलिए यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तावित संशोधन के फलस्वरूप नकली और अधोमानक कीटनाशकों को नियंत्रित किया जा सकेगा तथा दोषी व्यक्तियों को कठोर दंड दिया जा सकेगा। इस उद्देश्य को लेकर यह बिल प्रस्तुत किया गया है।

मैं सदन से प्रार्थन करता हूं कि इस बिल को सर्वानुमति से पारित करने की अनुमति दे।

MR. CHAIRMAN: Motion moved:

"That the Bill further to amend the Insecticides Act, 1968, be taken into consideration. "

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : सभापति महोदय, मैं सरकार द्वारा प्रस्तुत कीटनाशक अधिनियम(संशोधन) विधेयक, 2000 का पुरजोर समर्थन करता हूं। माननीय मंत्री जी द्वारा अभी बतलाया गया, मूलरूप से कीटनाशक अधिनियम और कुछ ऐसे पौधों को संरक्षण के लिए अथवा पौधो के लिए, खेती के लिए जो हानिकारक हैं, अधिक मात्रा में बढ़ जाते हैं, उनका नाश करने के लिए अधिनियम, 1968 में मूलरूप से कानून बनाया गया था। इसका उद्देश्य था, जितने भी कीटनाशक हैं, उनके आयात, बाहर से मंगाना या उत्पादन या विक्रय या परिवहन या वितरण या उपयोग करने के बारे में था और साथ ही जीव-जन्तुओं के ऊपर या मानव के ऊपर घाती न हो या जीव-जन्तुओं को नुकसान पहुंचाने वाला न हो, इसलिए कीटनाशक अधिनियम 1968 में बनाया गया था। इसका उपयोग करने के बाद देखा गया और सर्वोच्च न्यायालय ने 1997 में केस संख्या 2298, डाक्टर अशोक बनाम भारत संघ, निर्णय के अन्दर यह निर्धारित किया कि जैसे ही किसी कीटनाशक पदार्थ को धारा 3 के अन्दर अनुज्ञात रूप से निश्चित शैड्युल के अन्दर स्पैसिफाई कर दिया जाता है, तब उस पदार्थ के संबध में सरकार को कोई पावर नहीं रहती है कि उसको रोका जा सके। रजिस्ट्रेशन को कैन्सिल करने के लिए उनके पास कोई शक्ति नहीं रहती है, जबकि वैज्ञानिक तौर पर यह सिद्ध न हो जाए कि इस पदार्थ के विरुद्ध जो हानिकारक है, जिसके विरुद्ध रजिस्ट्रेशन कैन्सिल होना चाहिए, उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। लेकिन स्वास्थ्य के हानिकारक होते हुए भी शक्ति नहीं रहती है। इसलिए कम्पनी के खिलाफ मुकद्दमा चलाया नहीं जा सकता था. कानून के अन्दर मूल रूप से गलती थी और उस गलती को दूर करने के लिए इस अधिनियम को मूलरूप से बनाया गया था। उसकी धारा 27 के अन्तर्गत संशोधन किया गया है। मैं समझता हूं कि इस संशोधन के बाद समस्या दूर हो जाएगी। इस कमी की वजह से ही माननीय उच्च न्यायालय को फैसला लेना पड़ा और जो कमियां अनुभव की गईं, उनको दूर करने केलिए यह संशोधन लाया गया है। मैं समझता हूं कि यह बहुत उपयुक्त है, सामयिक है और कानून को और भी अधिक सुसंगत बनाने वाला है। मैं इन सारे संशोधनों का समर्थन करता हूं।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं, नकली कीटनाशक दवायें तैयार की जाती हैं, जिसको खेती के अन्दर हमारा किसान इन दवाओं को खरीदकर डालता है, उनसे टिड्डी या दूसरे कीट मरते नहीं है।

वे नकली दवाइयां बेअसर सिद्ध होती हैं। किस पौधे के लिए, कौनसी दवा किस जलवायू में अनुकूल है यह किसान को पता होना चाहिए। अगर उसमें कुछ मिलावट कर दी जाती है तो वे बेअसर सिद्ध होती हैं। बाजार में नकली और बेअसर कीटनाशक न आने पायें, इसके लिए यह संशोधन किया जा रहा है और यह बहुत ही उपयोगी है।

सभापति जी, जो लोग बेईमानी करते हैं उनके खिलाफ केसेज में बहुत टाइम लग जाता है जिससे नकली दवाइयां और नकली चीजें बाजार में बिकती रहती हैं। इसके एक प्रावधान में विशे न्यायालयों की व्यवस्था का प्रावधान भी किया गया है, जिससे मुकदमों का निपटारा जल्दी हो सकेगा और नकली कीटनाशक तैयार करने वालों के खिलाफ या बाहर से भी अगर नकली कीटनाशक आयात करके आ गये हों तो उन सब के विरूद्ध धारा 31 की उपधारा (2) में संशोधन करके विशे न्यायालयों को अधिसूचित किया जा सकता है। यह प्रावधान भी बहुत अच्छा है। इससे सुनवाई जल्दी होगी और नकली कीटनाशक तैयार करने वालों, बेचने वालों या इधर-उधर ले जाने वालों या किसानों को गुमराह करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकेगी।

इसमें एक ओर प्रावधान किया गया है और वह भी बहुत अच्छा है। पहले न्यूनतम जुर्माना पांच हजार रुपये का था जिसे बढ़ाकर 25 हजार रुपये करने का प्रावधान है। पहले सजा एक साल की थी, अब उसको बढ़ाने का प्रावधान इसके अंदर किया गया है। इससे भी नकली चीजों को रोकने में और सब-स्टैंडर्ड कीटनाशियों को रोकने में मदद मिलेगी।

भूमंडलीकरण के नाम पर या पौध-संरक्षण के नाम पर जो बाहर से पौध कीटनाशी मंगवा रहे हैं कि यह उपयोगी कृमियों की रक्षा करेगा और अनुपयोगी कृमियों को मारेगा, लेकिन अगर वह उल्टा असर डाले तो क्या होगा? उन चीजों को विनियमित करने के लिए इसमें जो प्रावधान किया गया है, सजा, जुर्माना और विशे न्यायालयों की स्थापना का जो अलग-अलग धाराओं में प्रावधान किया गया है, वह बहुत उपयोगी होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है।

सभापति जी, यदि कोई कीटनाशी नकली या सब-स्टैंडर्ड का हुआ तो उसे परीक्षण के लिए लैबोरेट्री में भेजा जाता है, लेकिन तब तक उसका वितरण या प्रयोग कैसे रोका जाये, उसके बारे में भी इसके अंदर कानून में प्रावधान किया गया है। अन्यथा होता यह है कि लैबोरेट्री में एक महीना या पन्द्रह दिन या ज्यादा समय परीक्षण में लग जाता है और एनालाइज होकर रिपोर्ट आती है, तब तक वह कीटनाशी बिकता ही रहता है। इसमें नमूने का परीक्षण करने के लिए तीस दिन की समय-सीमा निर्धारित करने का प्रावधान किया गया है कि रिपोर्ट 30 दिन के अंदर आनी चाहिए। जब तक रिपोर्ट आये, उनके ऊपर पाबंदी लगाने का भी इसमें प्रावधान किया गया है।

मान्यवर, एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि कीटनाशकों को प्रयोग जहां तक आवश्यक हो वहीं तक होना चाहिए, क्योंकि अधिकता हर चीज की बुरी होती है। किसानों को इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि कौन से कीटनाशकों का प्रयोग, कितनी मात्रा में तथा किस जलवायु और वातावरण में किया जाना चाहिए।

नहीं तो होगा यह कि अगर उनका प्रयोग पौधे के विकास पर पड़ा तो उसके सेवन करने वालों पर भी उसका दुपरिणाम हो सकता है और सेवन करने वालों के स्वास्थ्य को हानि हो सकती है।

जहां पर कीटनाशी रखा हो उस स्थान का चयन भी किसान को सावधानी से करना चाहिए और उसको रखने के बारे में सावधानी बरतनी चाहिए। कई बार किसान के घर में कीटनाशकों को ऐसे स्थान पर रख दिया जाता है जो बच्चों की पहुंच में होती हैं। चाहे चूहे, खटमल मारने की दवा हो।

या फडका बगैरह, जो खेती में नुकसान पहुंचाता है, उसके मारने की दवाई कहीं रख दी और रखने के बाद वह किसी बच्चे के हाथ में पड़ गयी या घर में झगड़ा हो गया या उसका सेवन कोई कर ले तो उसके परिणाम स्वरूप लोग मौत का शिकार हो जाते हैं या कई दफा आत्महत्या करने पर उतारू हो जाते हैं। यदि ऐसी परिस्थितियों से बचने की यदि कोई व्यवस्था हो सकती हो तो मैं समझता हूं कि उसे ध्यान में रखा जाए।

सभापति महोदय, जो कीटनाशी अधिनियम,1968 में बना था वह वास्तव में हमारे देश के पौध संरक्षण के लिए, खेती की सुरक्षा के लिए मूल रूप से बहुत आवश्यक था, लेकिन उसमें जो प्रावधान किये गये हैं, ताकि उसके तहत मनुयों, जीव-जन्तुओं और हमारे पशुओं पर किसी प्रकार का दुप्रभाव न हो, उनके लिए जोखिम बगैरह न रहे, वे इसी उद्देश्य से बनाये गये थे, लेकिन उसमें जो लेकुना और कमियां थीं, उन्हें दूर कर दिया गया है। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में जब हम हरित क्रांति की ओर बढ़ रहे हैं, श्वेत क्रांति की ओर बढ़ रहे हैं, उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो ऐसे समय यह संशोधन इस कानून को और प्रभावी बनाने में उपयोगी सिद्ध होगा। इन्हीं शब्दों के साथ सरकार द्वारा जो संशोधन विधेयक लाया गया है, मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूं और आपने मुझे बोलने का जो समय दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री राजो सिंह : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा जो कीटनाशी संशोधन विधेयक, 2000 सदन में प्रस्तुत किया गया है, इसे प्रस्तुत करते समय मुझे ऐसा लगा कि माननीय मंत्री, श्री पटवा साहब किसान नहीं है, जबकि जहां तक हमारी जानकारी है, पटवा साहब एक किसान ही नहीं, अच्छे किसान है। भले ही वह स्वयं खेती करते हो या न करते हो, लेकिन उनके यहां खेती होती है। यह 1968 का बना हुआ कानून है और जब यह कानून इनके विभाग तथा लॉ विभाग द्वारा बनाया जा रहा था तो मैं सोच रहा था कि पटवा साहब का एक किसान होने के नाते, मुख्य मंत्री होने के नाते तथा सार्वजनिक जीवन का जो इतना लम्बा अनुभव है, वह भार्वा के काम आयेगा, संसद के काम आयेगा। लेकिन मूल कानून की पांच धाराओं में संशोधन करने के लिए इसे यहां प्रस्तुत किया गया है, इसकी स्वीकृति राज्य सभा ने दे दी है और अब इसे लोक सभा में प्रस्तुत किया गया है। यह विधेयक धारा 21, 22, 24, 27 तथा 31 में संशोधन करने के लिए लाया गया है। दूसरी तरफ हाई कोर्ट की डायरेक्शन के तहत, 1974 के बने हुए कानून की धारा दो में संशोधन किया जा रहा है, लेकिन आप देखेंगे कि जो कीटनाशक दवा है, उसके तीन पार्ट होते हैं - एक बनाने वाला है, दूसरा बेचने वाला है और तीसरा अपने खेत में उपयोग करने वाला - आप बताएं कि किसके लिए यह कानून बना रहे हैं - क्या आप बेचने वाले के लिए कानून बना रहे हैं या उत्पादन करने वाले के लिए बना रहे हैं, या उन किसानो के लिए बना रहे हैं जो इनका उपयोग करते हैं। मैं समझता हूं कि आप इसे किसान के लिए उपयोग नहीं कर रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कीटनाशक दवा का लाइसेंस कौन देता है ?

राज्य मुख्यालय में बैठा हुआ एग्रीकल्चर डायरेक्टर उत्पादन करने के लिए लाइसेन्स देता है। कभी आपने सोचा कि राज्य के अंदर इतने जिले हैं, इसकी जांच किस तरह से हो सकेगी? आपने विधेयक में 20 दिन की समय-सीमा निर्धारित की है। कभी आपने सोचा कि लखनऊ में या आपके राज्य का मुख्यालय जहां है, वहां से सुदूर देहात में रहने वाले किसान जो कीटनाशक दवा लेते हैं, वह जांच किस तरह से करा पाएंगे? आप आनन-फानन में बिल ले आते हैं और जल्दी में उसे पास कराकर निश्चिन्त हो जाते हैं। 1964 में भी बिल पास हुआ था फिर त्रुटि कैसे रह गई? आपने इसमें एक प्रोविजन बढ़ाने का काम इतना ही किया कि सज़ा की अवधि बढ़ा दी, जुर्माना बढ़ा दिया लेकिन किसान को फायदा हो, उसके लिए आपने कुछ नहीं किया। किसान परेशान हो जाता है। कीटनाशक दवा, खाद और पानी किसान के लिए परम आवश्यक चीजें हैं।

1516 बजे (श्री के.येरननायडू पीठासीन हुए)

जब तक उसको अच्छा बीज नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा और दवा के छिड़काव की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक उनकी खेती अच्छी नहीं हो सकती। हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि पशु भी मारे जाते हैं। उन्होंने ठीक कहा। जो घास तैयार की जाती है, वह जानवरों को खिलाने से दूध का उत्पादन बढ़ता है। उस पर भी दवा छिड़की जाती है। उसको खा लेने से जानवर मर जाते हैं। जिस किसान के पास एक भैंस है या एक गाय है, वह कुछ खेती घास के लिए करता है जिससे उसकी भैंस और गाय अधिक दूध दे सके लेकिन वे उनको खाकर मर जाती है। उन्होंने इशारा किया कि वे दवाएं हमारी खेती की हिफ़ाज़त नहीं करतीं। खेती की पैदावार में भिन्न-भिन्न प्रकार के कीड़े-मकौड़े लगते हैं और दवा उनसे खेती की हिफ़ाजत नहीं कर पाती। उन्होंने कहा कि कीटनाशक दवा घर में ले आते हैं तो बच्चे भी कभी उसे खाकर मर जाते हैं, ऐसा नहीं है। आप गलतफहमी में हैं। लगता है आप किसान के परिवार से नहीं आए हैं। उस दवा को घोलकर लाइए और मुझे पिला दीजिए। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कीटनाशक दवा बन कहां रही है? दो नंबर की दवा बन रही है और उसको प्रोटेक्शन कौन देता है? मंत्री महोदय ने धारा 21 में संशोधन किया है। उसमें क्या लिखा है कि कौन इसकी जांच करेगा? एक निरीक्षक रहेगा जो गैज़ेटेड भी नहीं है। हमारी संसद में काफी बड़े-बड़े लोग आए हैं। कोई डीजीपी रहे हैं, कोई कलेक्टर रहे हैं, कोई कमिश्नर रहे हैं। उनको भी मौका आया होगा, उनके पास दर्ख्वास्त आई होगी किसानों की कि हम फलां दुकान से दवा खरीदकर ले गए और खेतों में डाली तो खेत सूख गए। पैदावार बढ़नी तो अलग बात है, वह तो बढ़ी नहीं, बल्कि दवा छिड़कने से खेत सूख गया और किसान की फसल बरबाद हो गई, सीज़न समाप्त हो गया। मंत्री महोदय से मैं कहना चाहूंगा कि इस तरह का कानून आँख मूँदकर बनाने का प्रयास मत करिये। यह सबसे बड़ी सभा है। मैं सुन रहा था एक दिन आपने कहा कि मैं गांव का प्रधान नहीं, वार्ड कमिश्नर होकर आया था। गांव में जो वार्ड इंचार्ज बनता है पंचायत में, उससे होकर आए, तब तो आपको ज्यादा व्यावहारिक ज्ञान होना चाहिए था और अधिकारियों पर निर्भर नहीं करना चाहिए था। यह सबसे ऊंची सभा है। यहां जो कानून बनेगा, वह हिन्दुस्तान के हर कोने में, पूर्व से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक लागू होगा और किसान इससे मारा जाएगा। किसान मुश्किल में पड़ेंगे। आपने जांच करने का अधिकार दिया है एक इंस्पेक्टर को। अगर आपने 25,000 जुर्माना बढ़ा दिया, किस पर जुर्माना बढ़ा दिया -- छोटे-छोटे दुकानदारों पर।

सभापति महोदय, छोटे-छोटे दुकानदार खाद नहीं बनाते, कीटनाशक दवाएं बनीं बनाते, उन्हें फैक्ट्री वाले बनाते हैं। आप बताइए कि आपने फैक्ट्री के मालिकों पर कार्रवाई करने के लिए क्या प्रावीजन किया है? मुझे तो लगता है कि आपने उन्हें छूट दे दी है। यदि हम आप पर आरोप लगाएं कि आप बड़े कारखाने वालों से मिले हुए हैं और उनकी हिफाजत के लिए, उनकी मदद करने के लिए यह कानून संसद में लाए हैं, तो कोई बेजा नहीं होगा।

सभापति महोदय, मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय, मेरी इस बात से नाराज भी नहीं होंगे कि वे तो सदन में वायदा करके वायदा-खिलाफी करते हैं। मैं इस बात को इस मौके पर तो नहीं, लेकिन किसी अन्य मौके पर बताऊंगा। आपने तो इस सदन में वायदा भी किया था कि हम सांसदों को डी.आर.डी.ए. का चेयरमैन बनाएंगे, लेकिन आपने वह वादा भी अभी तक पूरा नहीं किया। इसलिए हम आपसे इस विधेयक पर कोई वादा लेकर भी क्या करेंगे क्योंकि आपने वायदा पूरा तो करना नहीं है? चूंकि आपने सांसदों को चेयरमैन बनाने की बात सदन में मानी थी और वायदा किया था इसलिए 17 मई तक हम प्रतीक्षा कर लेते हैं, फिर उसके बाद माननीय अध्यक्ष महोदय को विशेाधिकार हनन की सूचना देंगे।

सभापति महोदय, इस विधेयक के अनुच्छेद 21, 22, 24 और 27 में जो संशोधन मंत्री महोदय ने प्रस्तुत किया है, उससे मैं सहमत नहीं हूं। उसमें आपने इंसपैक्टर रैंक

के व्यक्ति को जांच करने का अधिकार दिया है और यदि दुकानदार नहीं रहेगा, तो उसे एक रसीद दे दी जाएगी। वह कैसी रसीद होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी और क्या गवर्नमेंट या डायरैक्टर, एग्रीकल्चर उसे सर्टीफाई करेगा? यदि इसकी जांच आप डिस्ट्रिक्ट लैवल पर कराना चाहते हैं, तो आपने इसकी जांच के लिए किसी और ऊंचे अधिकारी का प्रावधान क्यों नहीं किया, आपने जिला कृषि अधिकारी या सब डिवीजनल एग्रीकल्चर ऑफीसर को इसमें क्यों नहीं रखा?

सभापति महोदय, हर राज्य में कितने केन्द्र खोलेंगे, इसका भी कहीं कोई उल्लेख नहीं किया गया है। मैं आपके माध्यम से सुझाव देना चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा केन्द्र खोलिए। मैं यह निवेदन भी करना चाहता हूं कि किसान को शुद्ध कीटनाशक दवाई मिलनी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि कीटनाशक बनाने वाली फैक्ट्रियों पर कड़ी निगरानी रखी जाए और उन्हें लाइसेंस देते समय विशे सावधानी बरती जानी जाए। आप इधर-उधर करके उन्हे लाइसेंस मत दीजिए। अगर आप इसका सेंटर जिला स्तर पर नहीं खोल सकते हैं, तो कम से कम उपमंडल स्तर पर जरूर खोल दें। जब इन केन्द्रों पर जांच होने के बाद कीटनाशक किसानों के पास जाएगा, तो वे उसका अपने खेतों में सदुपयोग कर सकेंगे।

सभापति महोदय, यहां हमारे बेगूसराय के माननीय सांसद बैठे हैं। वह बहुत अच्छी कृषि करते हैं और बिहार में कृषि मंत्री भी रहे हैं। वह आलू बहुत अच्छा पैदा करते हैं। जब वह विभाग से कीटनाशक लेते हैं और उसका प्रयोग खेत में करते हैं, तो अच्छी फसल होती है। क्योंकि वह मंत्री रहे हैं, इसलिए विभाग वाले शायद उन्हें असली खाद और कीटनाशक देते हैं, लेकिन जब हम कीटनाशक और खाद लेते हैं, तो हमें नकली मिलता है और हम जब अपने खेद में वह दवा रात को छिड़क देते हैं और सुबह खेत को जाकर देखते हैं तो देखने से पहले ही मन में ऐसी कल्पना करते हैं कि खेत खूब रहा भरा होगा, लेकिन जब खेत देखते हैं, तो वह नकली दवा और खाद के कारण सारा का सारा जला हुआ पाते हैं। इसका नुक्सान कौन भरेगा?

सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पुन: निवेदन है कि वे इसमें आवश्यक संशोधन लाएं, संशोधन लाने से हमें क्या ऐतराज हो सकता है, लेकिन संशोधन ऐसा लाएं जिसमें दुकानदार या छोटे व्यापारी को नहीं बल्कि बड़े व्यापारी यानी फैक्ट्री में नकली दवा बनाने वालों को ज्यादा से ज्यादा कसा जा सके। किसान बड़ी हड़बड़ी में आता है। जब पानी बरस चुका होता है तब किसान दवा लेने या खाद लेने दौड़ता है, क्योंकि यदि खेत सूख गया और फिर दवाई छिड़की, तो खाद और दवाई बेकार हो जाएगी क्योंकि उसका असर नहीं होगा। इसलिए किसान को बहुत जल्दी होती है। वह अच्छी और बुरी कीटनाशी दवाई या खाद की पहचान नहीं कर पाता।

सभापति महोदय, मैं तो वैसे ही बहुत कम बोलता हूं। आप तो रेलवे स्टेंडिंग कमेटी में हमारे चेयरमैन रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो बिल लाए हैं उसकी जिन धाराओं पर मैंने आपत्ति उठाई है और जिन बिन्दुओं की ओर मैंने उनका ध्यान आकर्षित किया है उन सभी बातों पर वे अवश्य विचार करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले एक बात और कहना चाहता हूं कि " बीति ताहि बिसारि दे, आगे की सुध ले" - पटवा जी, जो बीत गया उसे भूल जाइए और नया इतिहास बनाने की कोशिश कीजिए। कृषि मंत्रालय आपके पास संयोगवश आ गया है।

हमारे नीतीश जी नहीं हटते तो कुछ करते। मैं समझता हूं कि इससे मतलब नहीं है। मेरा कहना है कि आप प्रिविलेज के चक्कर में न फंसिये।

श्री सुन्दर लाल पटवा : सभापति जी, अगर कोई मंत्री को डराये तो ....?

श्री राजो सिंह : सभापति जी, आदमी को अकेले में डराया जाता है। इतनी बड़ी सभा में किसी को कोई डराता नहीं है बल्कि अपनी बात कहता है। â€¦ (व्यवधान)

***SHRI BASANGOUDA R. PATIL (Yatnal) (Bijapur):** Mr Chairman Sir, I rise to support the Insecticides (Amendment) Bill, 2000, moved by the Hon'ble Minister Shri Sundar Lal Patwa Ji in this august House. There are five amendments in this Bill. Sir, as you are well aware, at many parts of the country particularly in Gulbarga and Bidar districts of Northern Karnataka farmers have committed suicide because their crops were destroyed due to adulterated insecticides. Farmers, the backbone of our nation buy the insecticides from the open shops and finally they realised that the insecticides and pesticides were adulterated to the maximum extent. Specially in Karnataka, farmers who had spent several lakhs of rupees on insecticides are in great trouble. It is most unfortunate. Not even a single person has been punished under Insecticides Law, 1968. Therefore, the Hon'ble Minister has brought this Insecticides (Amendment) Bill, 2000.

The insecticide inspectors have been given more powers and the culprits would be given stringent punishment. I welcome this Amendment Bill and I congratulate the Hon'ble Minister for this. Many international companies are coming to our country. The Indian companies which were functioning here are facing danger and our Government has to take a serious note of this. These new companies which are mainly responsible for the supply of adulterated insecticides are ruining the future of our farmers. In fact, these serious matters including the suicide of farmers have been raised in the State Assembly also. The Hon'ble Minister in this Bill has made provision to set up special courts under section 31 of the original Bill. I congratulate him for this step. I urge upon the Minister to set up these courts immediately. I hope these courts would give their verdicts quickly and do justice to the farmers of this country.

Many insecticide shops are selling insecticides whose expiry dates are

*Translation of the speech originally delivered in Kannada.

already over. Government should know how many such cases have been reported. The inspectors are not doing their job in this respect. The Hon'ble Minister should look into this problem very seriously and the farmers should be rescued from disaster. The fine for the culprit is Rs 25,000 and the period of imprisonment is quite justifiable. I

welcome all these steps of the Government of India and I hope the benefits of this Amendment Bill would reach our farmers.

Sir, with these words I thank you and conclude my speech.

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN (CHIRAYINKIL): Sir, I rise in support of this amendment. The amendment is brought in with three objectives. The first one is that as a result of the Supreme Court judgement, a lacuna in Section 27 has to be removed. Secondly, to make it more deterrent because the punishment provided in the original Act is not sufficient to prevent subsequent commission of offences. Thirdly, more special courts have to be established for the speedy trial of cases. The Government was supposed to come before the House with this amendment because the Supreme Court had given a judgement that once registration is given to a product, it cannot be cancelled merely on the ground that it is injurious to human health. That is the reason why the Government had to come before this House with this amendment.

The general tendency in the market nowadays is that there is adulteration in every field. Even Potassium Cyanide, the most fatal poison, is adulterated today. If one wants to get pure cyanide for committing suicide, he will find that even that is adulterated. That is the order of the day. Almost all materials are adulterated. In order to prevent adulteration, we have enacted the Prevention of Food Adulteration Act with provision for more deterrent punishment to be awarded by the High Courts also. The courts have also taken very serious view of the matter and very stringent punishments have been awarded by the courts in the cases related with adulteration. Even then, there has been no decrease in adulteration. If you go to the market to purchase some foodstuff, you cannot purchase anything without the fear of that foodstuff being adulterated. Can you find any foodstuff in the market without being adulterated, in spite of the fact that we have enforced the Prevention of Food Adulteration Act? Even in the enforcement of that Act, the courts have observed on several occasions, there is an inherent weakness in it. According to the Act, the primary or the first offender is the manufacturer. The retailer is innocent; and he does not come into the picture at all. The manufacturer is the person who is liable to be punished. But, he is not punished; he is not convicted. He escapes punishment without any difficulty at all. But the person who purchases from the manufacturer, the retailer, is always in the dock. He will go to courts and he will be punished.

So, there is a cry from the retailers that they must be saved from this punishment process. They are innocent. They do not mix up the poison when it is manufactured. They do not play any role in the manufacture of it. They are only distributors. But in spite of the fact that the Act is there, we could not prevent adulteration to our advantage. That is the position. In spite of the fact that the punishment has been made very deterrent, even the Evidence Act had not been strictly adhered to in matters of dealing with evidence regarding prevention of food adulteration. There, the witness is let off.

Even an independent evidence is not required in the matter of punishing the food adulterators. That is the present law. In spite of these stringent methods, our experience is that adulteration is the order of the day. So, we will have to find out some methods by which this can be prevented. If that is the case of adulteration with regard to the food for human consumption, what will be the case of adulteration in the matter of insecticides?. In the matter of insecticides and pesticides, we want to prevent adulteration. We are in the age of globalisation, privatisation and liberalisation. Multinational companies will come into the market, and sub-standard quality of insecticides will be sold in the market without any restriction. Would we be able to control them? They are purchased by the Indian agents who will then be distributing them. The prosecution is possible only against these persons, the Indian agents, who had purchased them and then sold them. They are taking them from multinational companies who are the real manufacturers. But they will not come into the picture, they will remain behind curtain. They will not be accused in the matter for adulteration. They simply get honourable position in the matter of dealings with the insecticides. But the Indian agents are the first offenders. Even if there is prosecution, the Indian agents alone will be punished. The persons who are really liable, who are really the root cause for this adulteration are getting away especially in an age where we speak of globalisation, liberalisation and all these things.

So, I think, our legislation will be ineffective in dealing with such cases. So, we will have to evolve some methods by which the real culprits or the real offenders would be booked. But how can we punish them? That is the most important aspect so far as this legislation is concerned. Our Amendment also is silent on this aspect. The original Act also is silent on this aspect. Hence the adulteration will be continued.

Our food crops will be sprayed with insecticides which are dangerous to human life. We cannot effectively prevent all these things. Even giving a deterrent punishment is not the only remedy. If that be the case, the adulteration in foodstuff would have been prevented. We could not prevent it for the only reason that the Food Adulteration Prevention Act is giving deterrent punishment. So, giving deterrent punishment is not the only remedy. We will have to find out other methods by which this can be prevented.

So, I do consider that this is only an attempt. I think, it is an honest attempt and I do concede it. But this will not be

an effective remedy unless and until some drastic measures are taken by the Government.

Similar is the case regarding Chemical Analyses Report. It takes a lot of time. We do not get this Report at the proper time, and the culprits escape. So, when we think of establishment of proper courts, we will have to think of establishing laboratories throughout the country. Such laboratories are very few in number. Until and unless, a timely Chemical Analysis Report is prepared in a laboratory, which is available, it will not prove to be an effective measure. So, we will have to think about not only of establishing the additional courts but also the establishment of additional Chemical Analysis Report. It is also an essentiality.

We must find provision for that also. So, additional courts, additional laboratories and additional crops alone can solve the problem.

I would request the Government to think on those lines and provide not only additional courts but also sufficient places for checking. The number of Inspectors who are to take the samples must be increased because in the process of globalisation, the offences will always be on the increase. To prevent such a catastrophe, I would request the Government to take immediate steps for giving additional staff also for implementing this particular Act.

With these words, I conclude.

SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): I rise to support the Insecticides (Amendment) Bill, 2000. All the previous Members have already enumerated the various Clauses to which amendments have been made. So, I will not go into very many details on them. This Bill deals with human life.

Under Section 21, the Inspector was previously going to stop the distribution, sale and use of insecticides for 20 days, but it has now been increased to 30 days. Previously, as Shri Varkala Radhakrishnan has said, the laboratory examination report of the Inspector was not forthcoming. That is why, it has been introduced in this Bill that the Inspector will have to give a report within 30 days. This comes under Section 22.

Under Section 24, the time has been fixed. Under this Section, the Inspector previously when he was taking some samples, was to pay for that. Now he will not pay. Now he will only pay if it is proven after the laboratory tests that these samples are not misbranded.

Through this Bill, the Government has asked the State Governments to set up additional courts and at various stages, the punishment money has been increased.

So, I thank the hon. Minister for at least he has taken steps to move the amendments. I am raising a very serious matter here. We are talking about the human health for which we are going to bring this amendment. But do you know what incalculable harm is caused to human life by adulterated or unadulterated insecticides? I will give you some examples. By the use of chemical fertilisers in the fields, the nitrogen phosphate etc., are mixed with the stream of water and it enters into the foodstuff and harms the human life. Mostly, the harm is caused to Andhra Pradesh where starting from the village and it goes ` right up to 5-Star hotels. The water is mostly contaminated with insecticides.

It has caused a lot more harm to the people of Andhra Pradesh in comparison to the other States. Haryana, Karnataka and Punjab, which are the States which use insecticides the most, are also just following the footsteps of Andhra Pradesh gradually.

About five lakh people in the world die every year because of the bad effects of insecticides. Seventy per cent of the total insecticides used in India are banned in Western countries. They do not utilise them but they send all those insecticides to be utilised in India, just like the baby food and other things that they dump in India since they do not use them. About 70,000 tonnes of DDT are manufactured every year and it has a negative impact on foodstuffs. It has a negative impact on water, flora and fauna and the human body. Most of the countries have banned the use of DDT whereas we have not banned it. The DDT enters into the body and it causes damage to the tongue, lips, kidneys and heart; and cancer is mostly caused by a bye-product of the use of DDT. BHC, a bye-product of DDT is two-and-a-half times more poisonous than DDT. This is also used in India. It enters the human body through skin, mouth and nose. The insecticide produced by the use of BHC leads to cancer. The Western countries like the USA have banned it. The poison of the insecticides not only affects the kidney but it also affects the brain. The diseases of paralysis and cough are caused by the use of insecticides.

Crores of tonnes of insecticides and fertilisers are produced and exported from India. About 30 per cent of the

fertilisers are used in the unorganised sector and are being produced by the small-scale industries. Even mother's milk is very much contaminated. ...(*Interruptions*)

I will conclude in four or five more minutes. ...(*Interruptions*)

The Ministry of Agriculture has supplied statistics that from 1988-89 to 1996-97, the use of insecticides was reduced by 25 per cent. It is surprising that while 24,775 metric tons of insecticides were produced in 1971, 90,788 metric tons were produced in 1996. So, how do we say that it has reduced? It has not reduced. I do not know how the Government has most of the time come out saying that the use of insecticides has reduced. This has not been reduced; rather, it has gone up by more than 300 per cent. Actually, 50,000 to 60,000 types of insecticides were produced in India during the last one or two decades and every year, 3,000 more types are produced.

After Andhra Pradesh, I will give you the example of Tamil Nadu. During the last few years 40,375 people were affected by the use of insecticides. Out of them, 38,000 people died and we could not prevent it.

Out of eight vegetables that were produced seven were contaminated. Even in Andhra Pradesh, you will be surprised to know that bees, which are the carriers of germination, died in large numbers because of the introduction and use of fertilisers. This has happened mostly in Andhra Pradesh and it has started happening in other States also. After some years, probably, we will find that various varieties of bees have died.

Finally, I will conclude by suggesting the solution. Let us go for the bio-fertiliser. Let us go for the fertiliser or the insecticides, which could be produced indigenously. In India, this could be produced out of bitter gourd, out of *neem*, and also out of garlic. It does not require very heavy investment. Farmers can produce them. In foreign countries, the vegetables produced out of bio-fertiliser and bio-insecticides are sold at three times the cost that we incur for producing very lovely looking vegetables that are produced out of use of chemical fertiliser and chemical insecticides. It might be that the vegetables and fruits produced out of use of bio-fertiliser and bio-insecticides are odd and that they do not look very lovely; but in no way, their production is less. Many people are using it now.

So, I appeal to the Government that they should not only bring forward such amendments, they should also create a situation in this country where the farmers are educated. Farmers may feel that chemical fertiliser and chemical insecticides are helping them, but they will not help our children in future. You may go to any village during monsoon season and you will find that due to the use of chemical fertiliser and chemical insecticides in the paddy fields, cockroaches and other small fishes are dead. In Orissa you can find that. When I was a kid, I was going to fish during monsoon season, in the paddy fields. But nowadays, fish is not there; they are dead because of use of chemical fertilisers and insecticides.

All insecticides and viruses are not against human health. There are so many viruses and insects, which help plants. But the indiscriminate use of insecticides and pesticides are killing them.

So, I will appeal to the Government to create a situation in this country where the farmers are educated. They should not go in for this type of poison, which is not only poisoning our food products, but they are also poisoning our body. They should go in for bio-fertiliser and bio-insecticide, which will retain human health in good condition, of our children in future. Thank you very much and, I hope that this House will pass this Bill.

SHRI Y.S. VIVEKANANDA REDDY (CUDDAPAH): I thank the Government for bringing forward the Insecticides (Amendment) Bill, 2000.

In 1997, we had a very great misery, where hundreds of farmers killed themselves or committed suicide because of spurious insecticides made available to them.

Most of the farmers were cotton growers. As all of us know, the hybrid cotton which was brought during the Green Revolution, demand heavy usage of pesticides. The poor farmers who were enthused by the success of other farmers had changed the cropping pattern. Most of them switched over to cotton cultivation. This hybrid cotton demand usage of heavy insecticides. They are not as disease-resistant as the Indian varieties are. The poor farmers had pledged the jewellery of their wives and bought pesticides. This extreme demand enthused the local farmers to give these furious chemicals which ultimately resulted in crop failure. More than fifty per cent of the crops failed. The huge burden of debt forced nearly 500 farmers to commit suicide. The Insecticides Act, 1968 had some defects in the legislation. So, the Government has to come up with some amendments. Proposals in Section 27 led to amendments proposed in section 21, 22, 24 and 25. It is a welcome step that the Government could punish all spurious chemical manufacturers which caused agony to the farming community. While saying that the Act and the amendments proposed here are good, I demand that implementation part should be taken care of so that the farming community is benefited. The farmer community is heavily burdened with the cost of insecticides and the burden of harvesting each and every crop. If an insecticide which is supposed to control a particular pest or insect

fails, then the Government should compensate the farmer, either from its own resources or through the manufacturer of that insecticide. It is because the losses caused to the poor farmers are colossal. The Government should consider this suggestion. In this connection, I would like to draw your attention to IPM which has been prophesied by us much before any other foreign country did.

1600 hrs (Dr. Laxmi Narayan Pandey *in the Chair)*

Since its inception in 1985, not much has been done towards this end. As the previous speaker has rightly pointed out, we have to follow the practice of IPM right from selection of the pest-tolerant varieties to the improved cultural practices like deep tilling, crop rotation, mixed cropping, seed treatment and a number of such other mechanical ways to eliminate pests. A number of such improved measures, which have actively been prophesied, will have to be taken to the farming community and an awareness will have to be created. We will also have to give a lot of financial support to the farmers who practise IPM. The pesticides or insecticides which we use in the farm sometimes also lead to the death of a number of other insects which otherwise may be beneficial to the crop. This causes ecological imbalance. As my learned friend has pointed out, as a result of this, the natural enemies of the pests get degenerated. Birds like Lady Bird Beetle and many other good useful insects get killed in the process of spraying the chemical insecticides. In this connection, the farming community has to be taken into confidence. The entire farming community should follow the pest management as the biological control agents generated in a particular field will not stay there. They will go to the adjoining fields. So, the farmers will have to observe these indigenous technologies.

The Government has approved a new fund for use of pesticides. It is encouraging *neem*-based pesticides and other eco-friendly pesticides. These chemicals should be effectively controlled so that the farming community is not made to suffer because of them.

With these few words I conclude my speech and appeal to the Government, though the intention of the Bill is good, its implementation has to be strictly adhered to.

श्री रामजीवन सिंह (बलिया, बिहार) : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा कीटनाशी संशोधन विधेयक, 2000 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस संबंध में दोनों पक्षों से काफी बातें कही गई हैं। कीटनाशी दवाओं के प्रयोग से क्या नुकसान है, इसके लिए क्या उपबंध किया गया है, उन बातों को मैं दोहराना नहीं चाहता। जो बिल में संशोधन आया है, उसके संबध में माननीय राजो सिंह जी यहां नहीं हैं, कह रहे थे कि इस संशोधन द्वारा आपने विक्रेता, वितरक या उपयोग करने वाले पर तो सज़ा का उपबंध किया है लेकिन जो इसका उत्पादन करेगा, निर्माण करेगा, उस पर आपने सजा का कोई प्रावधान नहीं किया है। महोदय, 1968 में जब कानून बना उस समय यह प्रावधान था कि जब कीटनाशी दवाएं आयात होंगी, जिसका उत्पादन होगा, वितरण होगा, जिसका परिवहन होगा, उन तमाम चीजों में गड़बडी को रोकने के लिए प्रावधान किया गया था । कालान्तर में किसी तरह की त्रुटियां उसमें पाई गई हैं तो जो त्रुटि करने वाले लोग हैं, चाहे उत्पादक हों, वितरक हों, आयात करने वाले हों या परिवहन करने वाले हों, जिन कानूनों के तहत, जिस अनुच्छेद के तहत वह बचाव का रास्ता खोज लेते हैं, उन्हीं को दूर करने के लिए सरकार यह बिल लाई है और इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय, मुझे लंबे समय तक कृषि विभाग में काम करने का मौका मिला, इस विभाग का मैं मंत्री रहा। मेरा अपना अनुभव रहा है और एक किसान होने के नाते मैं कहता हूं कि ठीक है, आपने इन उपबंधों को लगा कर देखा कि कहां त्रुटियां हैं जिनको दूर कर सकें और दोषी लोगों पर कार्रवाई कर सकें। महोदय, जो इसके निरीक्षक हैं, वह नमूने लेते हैं, अपने पास नमूने ज्यादा दिनों तक न रख कर प्रयोगशाला में भेजें, और प्रयोगशाला निश्चित अवधि में उसकी जांच कर पाती है तो उसके लिए भी प्रबंध किया गया है और एक अवधि निर्धारित की गई है और उसमें जुर्माने को 5000 रुपये से बढ़ा कर 50,000 रुपये, 15,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है। अधिकतम चीजों का उपबंध बिल में किया गया है जिसके लिए मैं इसकी ताईद करता हूं। लेकिन मेरा अनुभव यह बताता है कि आज उन कीटनाशी दवाओं के कारण हमारी फसल पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, । एक समय था जब हमारे देश में हरित क्रांति आई। नये-नये बीज आए, नयी तरह की टैक्नोलॉजी आई। उस समय से हमने फर्टिलाइज़र और कीटनाशी दवाओं का इस्तेमाल शुरू किया तो इससे हमें लाभ अवश्य मिला जिसके चलते हमारा उत्पादन बढ़ा। लेकिन अब इसके प्रयोग से काफी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। हमारे उत्पादन पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। प्रकृति ने जब सृष्टि की है तो उसमें मित्र कीड़े और शत्रु कीड़े दोनों पैदा किये हैं। इन कीटनाशी दवाओं के कारण मित्र कीड़े ज्यादा मर रहे हैं और शत्रु कीड़े कम मर रहे हैं जिसके चलते हमारी फसलों को नुकसान पहुंच रहा है और उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।

दूसरी बात यह है कि कीटनाशी दवाओं का इतना व्यापक रूप से प्रयोग चला कि घर-घर में इसका इस्तेमाल लोग करते हैं, चाहे छोटे किसान हों या बड़े किसान। हमारे यहां इतनी ज्यादा साक्षरता भी नहीं है, किसान भी शिक्षित नहीं हैं और जो दवाओं का छिड़काव करता है वह भी शिक्षित नहीं है। इसका विपरीत प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है यह देखा गया है कि जब कभी घर में कोई विवाद हुआ तो घर में कीटनाशी दवाओं का इस्तेमाल कर आत्महत्याएं कर ली जाती हैं। कीटनाशी दवाएं ही नहीं, बल्कि शुरू-शुरू में आपको याद होगा कि जब डीडीटी का छिड़काव किया गया था तो हमारे देश में भी उसका व्यापक प्रयोग हुआ। अमेरिका में जब ह्यूमन बॉडी का टैस्ट किया गया तो ह्यूमन बॉडी में 11 परसेंट डीडीटी का अंश पाया गया। हमारे शरीर पर इसका ज्यादा व्यापक असर पड़ रहा है जिसके चलते हमारे स्वास्थ्य को बहुत नुकसान हो रहा है।

सभापति महोदय, आज स्थिति यह है कि फिलीपीन्स ने अपने देश में कीटनाशी दवाओं का इस्तेमाल बिलकुल बन्द कर दिया है। विकसित देश कनाड़ा और अमरीका ने भी इनका प्रयोग बिलकुल बन्द तो नहीं, लेकिन बहुत न्यून कर दिया है, लेकिन हमारे देश में अभी ऐसा नहीं हुआ है। हमारे देश में इसके, निर्माण, वितरण एवं छिड़काव पर जो सबसिडी दी जाती थी, वह बन्द कर दी गई है। इस प्रकार से हमारा देश भी इसकी ओर बढ़ रहा है कि कीटनाशी दवाओं का प्रयोग कम से कम किया जाए।

सभापति महोदय, आज जरूरत इस बात की है कि सही कीटनाशी दवाओं की पहचान की जाए । वास्तविकता यह है कि आज सही कीटनाशी दवाओं की पहचान नहीं हो पाती है। मार्केट में इतनी तरह के कीटनाशी दवाँए आ गई हैं कि किसान तो क्या टैक्नीकल आदमी के लिए भी यह संभव नहीं है कि वह उनकी पहचान कर सके। मैं आठ वर्ा तक बिहार में मंत्री रहा। मैंने बहुत प्रयोग किया कि सही दवा की पहचान हो सके क्योंकि कीटनाशी दवाओं का प्रयोग हमारे देश में व्यापक रूप से हो रहा है और नकली दवाएं भी प्रयोग में लाई जा रही हैं, लेकिन मैं नकली दवाओं के प्रयोग को रोकने में सफल नहीं हो सका।

स्भापति महोद्य, मैं इस बात से सहमत हूं कि इस पर पूर्णत: रोक नहीं लगाई जाए। लेकिन जब तक रोक नही लगती है तब तक यह तो किया ही जा सकता है कि कम्श्निरी के लैवल पर पूर्ण और स्भी आव्श्यक चीजों से इक्विप्ड प्रयोग्शाला बने जिन में कीटना्शी द्वाओं की जांच हो सके और जांज के उपरान्त सही पाए जाने पर उनका प्रयोग किया जाए। आज समेकित कीटना्शी प्रबंधन कार्य्क्रम, आई.पी.एम.(इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट) व्यव्स्था है, लेकिन उसका भी व्यापक रूप से उप्बंध नहीं किया जा रहा है। मेरा आग्रह है कि आप इसके अन्तर्गत ऐसी व्यव्स्था करें कि किसानों को ही प्रशिक्षित कर दें कि कौन से कीड़े हमारे मित्र हैं और कौन से कीड़े हमारे श्त्रु हैं। हालांकि यह टैक्नीकल चीज है। एग्रीकल्चर के लोग जिन्होंने इसकी शिक्षा पाई है वे ही इसको समझ सकते हैं, लेकिन किसानों को इस बात का तो प्रशिक्षण दिया ही जा सकता है कि कैसे इन कीड़ो से प्राकृतिक रूप से बचावकिया जा सकता है ।

स्भापति महोद्य, जब से हमारे यहां प्लानिंग ईरा शुरू हुआ है या हरित-क्रान्ति आई है, उसके बाद से कीटना्शी द्वाओं का प्रयोग ब्ड़े पैमाने पर होने लगा है, लेकिन हमारे पास रिपोर्ट है, जिसके आधार पर मैं बताना चाहता हूं कि उससे पहले भी हमारे देश में खेती होती थी, वह बिना कीटना्शी द्वाओं के होती थी और अच्छा उत्पादन होता था। उस सम्य किसान यह जानते थे कि कब खेत की जुताई की जानी है और कब बीज बोना है तथा कब कीड़ों को मारने का इलाज किया जाना है। वे कीड़ों को मारने के लिए नीम की खली और दूसरी चीजों का प्रयोग करते थे जिससे हम अपनी खेती को कीटनाश्यों से बचा लेते थे। आज आपने जो बिल पेश किया है और उसके माध्यम से आप जो संशोधन करने जा रहे हैं, उसका तो हम समर्थन करते हैं, लेकिन हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आपने जो आई.पी.एम. की व्यव्स्था की है, उसको इस देश में व्यापक रूप से चलाया जाए और किसानों को लाभान्वित किया जाए। प्लानिंग ईरा से पहले भी इस देश में अच्छी तरह से खेती होती थी। हम अपने किसानों को कीटनाश्यों से अपनी फसल की रक्षा करने में प्रशिक्षित कर सकें, ऐसी व्यव्स्था आप करें। इन्हीं श्ब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

MR. CHAIRMAN : Hon. Members, five Bills are listed in today"s Order Paper for consideration and passing. To enable as many Members as possible to participate in the debate and the passing of the Bills, the House may sit late today. I hope the House agrees.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : How can you pass all the five Bills after 6 o"clock?

MR. CHAIRMAN: They are all small Bills. They are all one-line or two-line Bills.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): They are not one-line or two-line Bills. There is Direct-Tax Laws Bill and the Companies Bill. They are important Bills. Up to Sugarcane Control Bill, it is okay. Beyond that, please do not take up other Bills today. It would not be proper. Those important Bills cannot be discussed within half-an-hour or forty minutes. We discussed it in the Business Advisory Committee meeting and said that we require two hours for them. It has been approved. It does not mean that we sit up to 10.30 p.m. or 11 p.m. and pass them. Therefore, on behalf of my Party, I would say that please take up for consideration up to Sugarcane Control Bill today. Even if it means sitting beyond 6 o"clock, we can accommodate them. But after that, please do not take up other Bills.

MR. CHAIRMAN: We are now considering the Insecticides Bill. Then comes the Food Corporations Bill.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : After this Bill, the Food Corporation Bill will come followed by Sugarcane Control Repeal Bill. After the Bill regarding sugarcane, there should not be any business today. The rest of them may be taken up tomorrow. How can we do like that, Sir? Bills like Indian

Companies Repeal Bill and Direct-Tax Laws Repeal Bill cannot be passed just like that. This is not the way to pass. We have agreed in the BAC that they will be discussed in two hours. So, passing upto Sugarcane Control Repeal Bill will be all right today.

MR. CHAIRMAN : The House will sit upto the passing suger cane conter Report Bill Shri Ravi Prakash Verma may speak now.

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी) : माननीय स्भापति जी, कुछ दिन पहले हमने समाचार-पत्रों में पढ़ा था कि नकली या मिलावटी कीटना्शी द्वाओं के प्रयोग के कारण जो नुक्सान हुआ, उस नुक्सान से परेशान होकर बहुत से किसानों ने आत्मघात किया। उसी से प्रभावित होकर सरकार ने यह कीटना्शी संशोधन विधेयक, 2000 सदन में रखा है। जैसा कि इसकी भावना से साफ है, आज बाजार में मिलावटी कीटना्शी पदार्थ जो खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत ब्ड़े पैमाने पर बिक रहे हैं जिनका एक मोटा तखमीना लग्भग 200 करोड़ रुप्ये का कारोबार कर रहा है, उसे रोकना चाहते हैं।

बडी अजीब-सी बात है कि आज की तारीख में जब हिन्दुस्तान की 100 करोड़ आबादी का पेट भरने के लिए बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किये गये हैं, हमारी पूरी कृषि पर आधारित प्रणाली उस दिशा में अग्रसर है, तो बाजार में जो फर्जी पैस्टीसाइड बिक रहे हैं जिनकी गुणवत्ता बहुत ही निम्न स्तर की है, उन्होंने इस उद्देश्य को बहुत धक्का पहुंचाया है। किसानों ने जिस तरह अपनी जानें दी हैं, उनकी जो विव्शता है, वह भी हमारे सामने बहुत खुलकर आ गयी है कि हिन्दुस्तान का ज्यादातर किसान छोटी पूंजी का किसान है और वह यह नुक्सान बर्दाश्त नहीं कर सकता जो कि 30 प्रतिशत से लेकर किन्ही-किन्ही मामलों में 70 प्रतिशत तक साफ लक्षित हुआ है। सीधी सी बात है कि अगर कृषि उत्पादन के लक्ष्यों को पूरा करना है तो जो भी संसाधन हैं, उपादान हैं, उनका बहुत ही सही उप्योग किया जाना चाहिए। इस दिशा में सरकार ने जो कीटना्शी संशोधन विधेयक यहां रखा है, मुझे लगता है कि जो कमियां पहले रह गई हैं या दिखती पड़ रही हैं, उनको सुधारने की दिशा में यह एक प्रयास है।

माननीय स्भापति जी, अभी हमारे कई पूर्ववक्ता ने बताया कि कीटना्शी रसायनों का उत्पादन करने का एक अलग मैकेनिज्म है। जहां पर उद्योगपति ब्ड़े-ब्ड़े ब्रांड्स, अपने प्रोडेक्ट्स को मार्केट में लाने के लिए उत्पादन करते हैं, गवर्नमैंट उसकी लाइसेंसिंग करती है, उसकी सेल का, मार्केटिंग का एक और मैकेनिज्म है, तरीका है जिसके माध्यम से नियंत्रित तरीके से उनका वितरण किया जाता है। उसके लिए पूरी मशीनरी है, सरकार का तंत्र है जो उस व्यव्स्था को संचालित करता है। क्या आपको यह ताज्जुब नहीं लगता कि इतने सैम्पल फेल होने के बाद भी 200 करोड़ रुप्ये का विशालकाय व्यापार, जो स्पूरियस पैस्टीसाइड्स इंड्स्ट्री द्वारा तैयार किए जा रहे हैं, सबसे अजीब बात यह है कि बाजार में उनकी निरंतर उपलब्धता बनी हुई है।

मुझे लगता है कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण स्वाल है जिस पर सरकार द्वारा गौर किया जाना आव्श्यक है। मैं बताना चाहता हूं कि पैस्टीसाइड्स के प्राइस का जो मैकेनिज्म है, जो बिक्री का तौर-तरीका है, उस्से ब्ड़ा फर्क प्ड़ता है। सरकार जिस तरह खेती के इस महत्वपूर्ण उपादान पर 18 प्रतिशत ऐक्साइज लगाए हुए है, उस्से किसान को लग्भग 26 प्रतिशत का ऐक्सट्रा बर्डन प्ड़ता है और शायद वही गुंजाइश है जहां चोर दरवाजे से स्पूरिअस पैस्टीसाइड्स बनाने वाले बाजार में प्रवेश करते हैं। आज किसान को मजबूरी में स्स्ता माल खरीदना प्ड़ता है और फर्जी या अन्ब्रांडेड पैस्टीसाइड्स की बिक्री के लिए डीलर किसानों को प्रेरित करता है। उसके जो कुपरिणाम सामने आते हैं, उन्हें बताने की जरूरत नहीं है। कीटनाशी बहुत ही महत्वपूर्ण उपादान है। एक तरफ सरकार सब्सिडी दे रही है और दूसरी तरफ उसके ऊपर ऐक्साइज ब्ढ़ाए हुए है। इस पर आप गहराई से गौर करें कि किसानों को उचित दर पर अच्छे पैस्टीसाइड्स मिल सकें और वे स्स्ते के चक्कर में स्पूरिअस पैस्टीसाइड्स न लें।

दूसरी सब्से महत्वपूर्ण बात अभी कही गयी कि बार-बार सैम्पलिंग हो रही है, सैम्पल्स फेल हो रहे हैं, जुर्माने हो रहे हैं लेकिन उसके बाद भी बाजार में निरंतर स्पूरिअस पैस्टीसाइड्स उपलब्ध है। हमारे पास अख्बार की कटिंग है, जो यह स्पट करती है कि करोड़ों रुप्ये की पैस्टीसाइड्स बिक्री हुई लेकिन उसके बाद भी हमारी जो कानूनी प्रक्रिया है, जो सरकारी मशीनरी है, उसके काम करने के तरीके के कारण उत्पादकों को कुछ नुक्सान नहीं हो सका। ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को एक तरफ जहां उत्पादक ने भुगता है वहीं किसानों ने भी भुगता है। जो उसके लिए ऐकाउंटेबल है, मुझे लगता है कि उस पर कोई फर्क नहीं प्ड़ा। वर्तमान विधेयक में जो वितरण प्रणाली है, नियंत्रण प्रणाली है, उसकी ऐकाउंटेबिलिटी को ऐश्योर करने के लिए मंत्री जी ने कोई प्रावधान नहीं किया। आज हम विक्रेता को भी जिम्मेदार ठहराते हैं और उत्पादक को भी जिम्मेदार ठहराते हैं। बाजार में फर्जी उत्पादन की जो निरंतरता बनी हुई है, उसके लिए नियंत्राधिकारी को ऐकाउंटेबल बनाना चाहिए कि इतना सब होने के बाद भी बाजार में उपलब्धतता कैसे बनी हुई है।

हमारे पूर्ववर्ती वक्ता ने इस बात पर गौर किया कि पैस्टीसाइड ऐसा उत्पाद है जो टाइमली है। पैस्टीसाइड्स का इस्तेमाल थोड़े से सम्य में करना होता है जिस्से किसान रिजल्ट ला सके और यही वह सम्य होता है जब बाजार में गुण्वत्ता के उत्पाद उपलब्ध नहीं होते, उनकी शार्टेज होती है और फर्जी कीटनाशी रसायन उपलब्ध होते हैं। आज हालत यह है कि एक सैम्पल एक लैबोरेटरी में पास होता है लेकिन दूसरी लैबोरेटरी में फेल हो जाता है। सब्से महत्वपूर्ण स्वाल यह है कि आज लैबोरेटरीज में काम का

बोझ बहुत है। इसके अलावा ये शिकायतें भी मिली हैं कि वहां भ्रटाचार है। स्पूरिअस प्रोडक्ट्स के मालिक वहां जाकर मिलते हैं।

ऐसी शिकायतें मिली हैं कि अपने सैम्पल को सही करा लेते हैं और उसमें मैनीपुलेशन होता है। सरकार से हमारा अनुरोध है कि प्रत्येक मंडल स्तर पर बहुत ही क्लासीफाइड लैबोरेट्री एस्टेब्लिश करें, जिस्से सैम्पल के टैस्टिंग में दिक्कत न हो।

MR. CHAIRMAN : Please conclude.

SHRI RAVI PRAKASH VERMA : I am concluding, Sir. इसके साथ मुझे आप्से एक बात कहनी है कि जो टैस्ट लेबोरेट्री की रिपोर्ट आती है, उसकी सेंक्टिटी, उसकी निपक्षता को स्थापित करने के लिए जो ग्राफ रिपोर्ट होती है, वह साथ में सबमिट की जाये। यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और सरकार का ध्यान इस तरफ खींचते हुए मैं यह कहना चाहता हूं, जैसा कि मेरे कई पूर्व वक्ताओं ने भी कहा है कि खेती के जो हमारे लक्ष्य हैंâ€¦(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Are you supporting the Bill?

SHRI RAVI PRAKASH VERMA : I am supporting the Bill, but conditionally. इस बिल के जो उद्देश्य हैं, उस पर ज्यादा निगाह दें और जो क्लैरीकल प्राब्लम्स हैं, जो व्यवस्था की सम्स्याएं हैं, जिनके अन्दर कोई प्रावधान भी नहीं किया गया है, जिन पर गौर नहीं किया गया है, जो सरकार की नीतियों की असफलता होती है, जो उद्देश्यों की असफलता होती है, मोटे तौर पर वह भी जिम्मेदार है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : माननीय सभापति जी, मैं भी इस बिल का समर्थन करे के लिए खड़ा हुआ हूं।â€¦(व्यवधान) आप पहले मेरी बात को सुन तो लीजिए। आपके लिए कीटाणुओं की आव्श्यकता है। इस बिल में कुछ कमियां हैं, लेकिन यह बिल मानव जाति का नुक्सान न हो, जीव-जन्तु का नुक्सान न हो और खेती में काम करने वाले किसानों का नुक्सान न हो, हम चाहे इनका आयात करें, चाहे विक्रय करें, चाहे विपणन करें, चाहे उप्भोग करें, उन्से सम्बन्धित सारे विषयों पर माननीय मंत्री जी यह बिल लाये हैं।

इसकी अनुसूची में यह कहा गया है कि 20 दिन के भीतर उसके नमूने के बारे में जो विचार करना था, अब वह 30 दिन के भीतर होगा। इसमें 20 से 30 दिन का बिल में जो प्रावधान किया गया है, वह उचित है। दण्ड देने के बारे में भी माननीय मंत्री जी प्रथम अपराध के लिए 10 हजार रुप्ये के न्यूनतम दंड को 50,000 रुप्ये तक कर दिया गया है। द्वितीय अपराध और उसके पश्चात 15 हजार से 75 हजार रुप्ये तक कर दिया गया है और 500 रुप्ये न्यूनतम जुर्माने का जो प्रावधान था, उसको 5000 रुप्ये तक और उसके साथ-साथ छः महीने की सजा यानी दोनों उसको दिये जा सकते हैं। प्रथम अपराध के लिए 5000 रुप्ये न्यूनतम जुर्माने को भी 25 हजरा रुप्ये तक कर दिया गया और कारावास की सजा भी दी गई है। मेरा मतलब यह है कि हर प्रकार से माननीय मंत्री जी, आपने इस बिल को, जो कीटनाशक या जहरीली दवाई देश में पैदा करते हैं, उनको सजा देने का आपने प्रावधान किया है।

इसके साथ-साथ आपने यह भी कहा है कि कोर्ट में विलम्ब होता है, देरी होती है, उस सब को दूर करने के लिए भी आपने विशेष न्यायालय हाई कोर्ट की सलाह से वहां पर स्थापित किये जाने का प्रावधान रखा है, यह बात भी आपने इसमें कही है। पर मेरा इसमें निवेदन करनाहै कि इंस्पैक्टर को जो आपने एक अधिकार दिया है, आप और किसको अधिकार दे सकते थे, यह तो आप सोचें, लेकिन मेरा आप्से यह कहनाहै कि यह बिल वास्तव में भावने के आधार पर निश्चित रूप से अच्छा है। मैं समझता हूं कि हर बिल जो आता है, उसका पक्ष भी होता है और विपक्ष भी होता है, मैं भी जब उस ओर बैठा करता था तो मेरी भी हमेशा नीयत यही रहती थी कि बिल में कहीं न कहीं कोई खोट निकालूं, लेकिन अब मैं सत्तारूढ़ पक्ष में हूं, इसलिए मैं यह बात कह रहा हूं।â€¦(व्यवधान) यही तो दिक्कत है, यही कीड़ा तो आपको खराब करता है, इसी को तो मारे जाने की आव्श्यकता है, इसीलिए माननीय मंत्री महोदय यह बिल लाये हैं। यह बिल वास्तव में अच्छा है, इसलिए भावनात्मक दृटि से आप सोचिएगा।

इस बिल का हमें स्वागत करना चाहिए। मंत्री जी जो बिल लाए हैं, मैं उसका ह्रदय से अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से समर्थन करता हूं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति महोदय, कीटनाशक संशोधन विधेयक पर बहस चल रही है। सन् 1968 में यह कानून बना था। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें

कुछ त्रुटियां पाईं, उन्हीं त्रुटियों को दूरुस्त करने के लिए मंत्री जी यह बिल लाए हैं। कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल किसान बड़े पैमाने पर करते हैं। पुराने जमाने में राख छिड़क कर या मिट्टी का तेल छिड़क कर कीटाणुओं से पौधों की रक्षा किया करते थे। लेकिन जब-जब अनुसंधान और टेक्नोलॉजी का विस्तार हुआ, तब से कीटनाशक दवाओं का लोग धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं। जमीन के अंदर भी दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है और बाहर भी स्प्रे किया जाता है। पौधों में दो तरह के कीटाणु लगते हैं। एक तो वे जो दिखाई देते हैं और दूसरे अदृश्य होते हैं। ये कीटाणु फसल को बर्बाद कर देते हैं। कभी-कभी कपास की खूब उपज होती है, लेकिन उसमें ऐसा कीटाणु लग जाता है कि दो-चार दिन में ही सारी फसल गायब हो जाती है और किसान बर्बाद हो जाता है। इसी कारण वह आत्महत्या भी करने लगा है। कभी-कभी हवा चलने से भी कीटाणु उड़कर फसल पर आ जाते हैं और उसको बर्बाद कर देते हैं। आलू की फसल खूब होती है, उसमें लैब्रलाइट नाम का कीटाणु लग जाता है तो दो-तीन दिन में ही सारी फसल खराब हो जाती है। इसलिए उस पर दो-तीन स्प्रे कीटनाशक दवा के होने से वह फसल बच जाती है। इसी तरह दीमक से रोकथाम के लिए एल्ड्रीन पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। जड़ में भी गैस से छिड़काव कर जमीन के अंदर फसल को मारने वाले कीटाणुओं का नाश किया जाता है।

माननीय सदस्य स्वाइं जी ने कहा कि इन दवाओं का धड़ल्ले से प्रयोग हो रहा है। अनाज की फसल में, सब्जी और फलों में भी आर्गेनिक फासफोरस जो कि जहर होता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। यह जहर इन फलों, सब्जियों और अनाज में भी रह जाता है इसलिए हम जो खाते हैं तो इस जहर का कुछ न कुछ अंश हमारे शरीर में भी जाता है। ऐसा वैज्ञानिकों ने भी जांच करके बताया है। इससे मनुय के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है। इसका स्वास्थ्य और स्वाद में भी असर होता है। हमें स्वाद से भी पता चल जाता है कि अमुक चीज पर कीटनाशक दवा छिड़की हुई है।

बिहार में करोड़ों पेड़ पीपल के और शीशम के सूख गए। किसान कंगाल हो रहा है। जांच हुई तो पाया गया कि उन पेड़ों की जड़ में कीटाणु लग गया था। इसी तरह केरल में कोकोनट में कीटाणु लग गया और काफी फसल बर्बाद होने लगी। बैंगन, आम इत्यादि सब्जियों और फलों में भी मधुवा नामक कीटाणु लग जाता है। अगर वह लग जाए तो इन पौधों पर एक भी फल नहीं होता। इसलिए इन पर दवा का छिड़काव करना पड़ता है।

मेरा सुझाव है कि जो कीटनाशक दवाओं का अनुसंधान होता है, उसकी बराबर छानबीन होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए कि इसका मनुय के शरीर पर कुप्रभाव न पड़े। कीटाणु मर जाए, लेकिन व्यक्ति खाए तो उस पर कुप्रभाव न पड़े, ऐसा देखना चाहिए। यह सब प्रापर और सही अनुसंधान और परीक्षण से हो सकता है।

किसान इंसेक्टीसाइड्स का इस्तेमाल फल, सब्जी, अनाज, फसल तथा सभी चीजों में इस्तेमाल करते हैं। पुराने जमाने में कीटाणु का कम आक्रमण था। बैंगन में राख छिड़क दी जाती थी और कीटाणु नहीं लगते थे लेकिन आज ऐसे-ऐसे दृश्य और अदृश्य कीटाणु पैदा हो गये हैं कि वे बड़े पेड़ को भी जड़ से ही काट देते हैं। मेरा सुझाव है कि उसके उत्पादन और विश्लेाण की छानबीन और जांच होनी चाहिए जिससे कीटाणु मर सकें लेकिन शरीर पर उसका कु-प्रभाव नहीं हो। किसान बड़े उत्साह से दवाई लाकर छिड़कता है लेकिन बाद में पता लगा कि यह दवा जाली है, स्पूरियस है। उसके लिए प्रावधान किया गया कि नियमों में कड़ाई करेंगे और जुर्माना लगाएंगे। व्यापारी लोग बड़ा कारोबार करते हैं और जाली दवाएं बेचते हैं। उसमे एक लाख रुपया बचा लिया, लाभ उठा लिया और जुर्माना पांच हजार रुपये हुआ। उनका नुकसान क्या हुआ ? उनका तो फायदा हुआ, इसलिए रुपये वाली सजा तो रहनी चाहिए लेकिन जेल की सजा भी हरेक क्लॉज में रहनी चाहिए लेकिन कुछ में है। लाख रुपये की स्पूरियस दवाएं बेच ली और पांच हजार रुपये जुर्माना हुआ तो 95 हजार रुपये का फायदा हो गया। रुपये के जुरमाने से ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, ज्यादा असर जेल के जुर्माने से होगा। जिस कंपनी का नाम फल गया, किसान आंख मूंदकर कि इस कंपनी के नाम की दवा अच्छी होगी, यह समझकर वह दवा लाकर छिड़क देता है और वह दवा स्पूरियस निकलती है, जैसे पहले डाइटेनम 45 के बारे में लोग कहते थे कि इसके छिड़कने से आलू में कीटाणु नहीं लगते हैं लेकिन ठंड के दिनों में तो इसी कीटाणु से ही सारे में कीटाणु फैलते हैं। पुराने जमाने में लोग हरिया कड़िया लगाते थे कि नजर न लगे लेकिन आज के युग में अनुसंधान तथा वैज्ञानिक टैक्नॉलोजी वगैरह सब है, इसीलिए फसल के संरक्षण और सुरक्षा की आवश्यकता हो गई है।

ड्रग्स महंगी भी बहुत हो गई हैं, इसलिए सरकार को देखना चाहिए कि किसान को ठीक दवाएं सस्ते दाम पर मिले, स्पूरियस दवाइयां न मिले। उसके लिए प्रावधान किया है और हम इसलिए समर्थन करते हैं कि इस दिशा में अच्छा काम किया जाएगा लेकिन किसान की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते तो हमें गुस्सा आता है, तकलीफ होती है। किसान की कितनी तबाही होती है, किसान अपनी मेहनत, पूंजी, और बीज इत्यादि सब लगाता है और कीटाणुनाशक दवाई का भी छिड़काव करता है लेकिन वह दवा जाली निकलती है और इससे उसकी फसल बर्बाद हो जाती है, इससे किसान को कितनी तकलीफ होती है ? विभिन्न राज्यों में हम देखते हैं कि किसान निराश होकर आत्महत्याएं करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इस प्रकार की शिकायतें आ रही हैं। किसानों की यह दुखद स्थिति है। फसल के उत्पादन के समय भी जांच पड़ताल होनी चाहिए कि ये दवाएं मनुय के लिए हानिकारक न हो लेकिन कीटाणुनाशक हो। जाली दवाई नहीं बने, दवाएं सस्ती होनी चाहिए। सरकार की तरफ से भी तथा अन्य की तरफ से भी किसान को पर्याप्त जानकारी दी जानी चाहिए ताकि किसान उसका सही इस्तेमाल कर सके और अपनी फसल और पौधों का सही संरक्षण और सुरक्षा कर सके। बिना पैस्टीसाइड्स और कैमिकल, खाद के फसल हो जाये तो और भी अच्छा है। लेकिन हमारा प्रथम सवाल है कि अनाज हमें गुणवत्ता वाला चाहए। फूड सिक्योरिटी के लिए भी हम प्रतिबद्ध हैं। हम यह भी चाहते हैं सौ करोड़ की आबादी वाले देश में भोजन के लिए भी हम आत्मनिर्भर होने चाहिए।

दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। मेरा ख्याल है, श्री येरननायडू जी ने इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करने के लिए बहुत जोर लगाया था और इस संबंध में सवाल भी उठाए थे। सरकार द्वारा कदम उठाने के लिए इन्होंने बहुत जोर लगाया, इसलिए येरननायडू जी को मैं धन्यवाद देता हूं और इस दिशा में कदम उठाने के लिए सरकार को भी मैं धन्यवाद देता हूं।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRI K. YERRANNAIDU (SRIKAKULAM): Mr. Chairman Sir, I welcome this Bill wholeheartedly because all these amendments are suggested by the Andhra Pradesh Government.

In the year 1997, the farmers suffered a lot because of the present Act and so many farmers committed suicide due to spurious pesticides. This legislation was passed in the year 1968 and after 32 years now we are proposing these amendments. We can understand that because all these 32 years there was no attack of these pests on our crops. That is why nobody took keen interest in these amendments.

In the States of Andhra Pradesh, Karnataka, parts of Punjab, Maharashtra and everywhere, after the pest attacks, the farmers have been suffering a lot. They have to borrow from private lenders after their crop failure and they are not able to repay that money. They have to pay huge interest on that amount. That is how, this issue came to light and that is why the Andhra Pradesh Government has taken one month to go through the present legislation to

suggest what are the important amendments that are required in the interest of the farming community.

At present, this Act is not useful for the farming community, it is useful only for the manufacturing community. For the purposes of administration and implementation of the Act, we are facing certain difficulties. That is why, the Government of Andhra Pradesh has proposed all these amendments in the year 1997. Though this Amending Bill has been proposed by our hon. Minister three years after it was passed by the Government of Andhra Pradesh, I thank the hon. Minister for bringing this Bill. In the same august House, I raised this matter nearly ten times. This Bill has the support of all the parties. So, on behalf of all the parties I support this and thank the hon. Minister for bringing this legislation. By amending Section 31 of this Bill, we can control the spurious pesticides and insecticides and empower the State Governments for speedy trial of cases. We can also punish the offenders and thereby restrict them from manufacturing spurious insecticides.

After repeated requests made by the Andhra Pradesh Government the hon. Minister was kind enough to bring these amendments. So, once again, I would like to thank the hon. Minister for bringing this Bill to this House. The whole credit for this goes to our present hon. Minister of Agriculture, Shri Sunderlal Patwa. The whole country will feel very happy when this Bill becomes an Act as the present Act has no power to restrict the selling of the spurious insecticides and the offender, after 20 days, can again sell all these spurious insecticides. With the help of this legislation, we can control, to some extent, the sale of spurious insecticides. I would like to draw the attention of the House that even the present Act to control adulteration is not able to control adulteration as it is going on in the country. We have to take measures in that regard also. Anyway, I once again thank the hon. Minister of Agriculture.

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज - उत्तर प्रदेश) : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को एक सूचना देना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश में धान की फसल कीटों के प्रभाव के कारण समाप्त हो गई थी। वहां के माननीय कृषि मंत्री, श्री दीवाकर विक्रम सिंह, अपने फार्म में धान की फसल को नहीं बचा पाए। मैं भी किसान हूं और हम लोग भी धान की फसल को नहीं बचा पाए। कृषि वैज्ञानिकों ने भी रिसर्च कर डाला, लेकिन धान की फसल नहीं बचा पाए। मेरा माननीय कृषि मंत्री जी से निवेदन है कि वे धान की फसल के बचाव के लिए उपाय ढूंढे।

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी) : सभापति महोदय, यह जो कीटनाशी (संशोधन) विधेयक, 2000 सुन्दर लाल पटवा जी की तरफ से पेश किया गया, इस बिल का मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं अपनी और अपनी पार्टी शिवसेना की तरफ से इस बिल का समर्थन करता हूं। मैं इसके लिए कुछ सुझाव देना चाहता हूं। यह मामला छोटा दिखता है लेकिन बहुत महत्व का है। कीटनाशी जो दवाएं बनती हैं, इस देश में छोटा किसान हो या बड़ा किसान हो, उसे अपनी खेती का उत्पादन बढ़ाने के लिए कीटनाशक दवाओं की जरूरत पड़ती है। हमारा सदन बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि सुन्दर लाल पटवा जी कृषि मंत्रालय का अधिभार संभाल रहे हैं। छोटी विलेज पंचायत, ताल्लुका पंचायत, जिला परिद, विधान परिद में जो मुख्य मंत्री रह चुके हैं, वही आज इस देश की सेवा में जुटे हैं।

सभापति महोदय, मैं पटवा जी को बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि वह खुद सुन्दर हैं, उनके विचार भी सुन्दर हैं, वह लाल भी हैं और अच्छे काम के लिए उन्हें पटाने की जरूरत नहीं है। कृषि मंत्रालय के जो काम होंगे, कानून बनेंगे, वे अच्छे ही बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं इस विधेयक के बारे में कुछ सुझाव देना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी एक किसान का जनप्रतिनिधि हूं। जब देहात का छोटा किसान कीटनाशक दवाएं लेने के लिए बाजार में जाता है तो किसान को पता नहीं होता कि कौन से फल, फूल, सब्जी और पौधे को कौन सी बीमारी है और उन पर कौन सा कीटनाशक छिडकना है। जब वह कीटनाशक दवा लेने के लिए बाजार में जाता है तो दुकानदार उसे अपनी मर्जी से दवा दे देता है। इसलिए मेरा कहना है कि किसान को टैक्नीकल गाइडेंस देना बहुत जरूरी है। इस संशोधन विधेयक के जरिए धारा 22, उपधारा (तीन), धारा 24 उपधारा (एक), धारा 29 उपधारा (तीन), धारा 31 उपधारा (दो) में संशोधन किया जा रहा है। किसान को कौन सी बीमारी के लिए कौन सी दवा खरीदनी है, इसके लिए किसान को जानकारी होनी बहुत आवश्यक है।

मार्किट में उसको ऐसी कोई सुविधा नहीं है। चार लोगों का इससे संबंध है। कीटनाशक निर्माता है, दूसरा जो एजेंसी कीटनाशक सप्लाई करता है, तीसरा जो दुकानदार किसान को कीटनाशक देता है। मेरा कहना यह है कि किसानों को कीटनाशकों के बारे में प्रशिक्षण और गाइडेंस देने की जरूरत है। आजकल मार्किट में डूप्लीकेट और आउट-डेटेड कीटनाशक बाजार में मिल रहे हैं। किसानों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि उसे किस कीटनाशक की जरूरत है।

पिछले साल महाराट्र और आंध्र प्रदेश में कपास पर एक बीमारी का हमला हुआ। किसानों ने बीस-बीस, पच्चीस-पच्चीस बार कीटनाशक छिड़का लेकिन उसका कोई असर उस बीमारी पर नहीं हुआ। किसान बर्बाद हो गये और उन्होंने वही कीटनाशक पीकर आत्महत्याएं कर लीं। महाराट्र और आंध्र प्रदेश में ऐसा हुआ है।

इस साल महाराट्र में कपास के ऊपर, पपई के ऊपर, केले के ऊपर वायरस नाम की बीमारी लग गयी और किसान बर्बाद हो गये। कीटनाशकों का कोई असर उस बीमारी पर नहीं हुआ। कीटनाशक आउट-डेटेड नहीं होना चाहिए और उसके छिड़काव तथा तकनीकी ज्ञान की जानकारी की उसको बहुत सख्त जरूरत है। इसलिए सरकार को चाहिए कि वह कोई ऐसी व्यवस्था करे जिससे किसान को कीटनाशकों के बारे में पूरी जानकारी हासिल हो सके।

किसान को कितने कीटनाशक की जरूरत है और कितना उसका उत्पादन हो रहा है, इस बात को सरकार को देखना चाहिए। बायो-फर्टिलाइजर की जो नयी तकनीक है किसान को उसकी तरफ जाने की आज जरूरत है साथ ही किसान कैसे कम से कम कीटनाशकों का इस्तेमाल करके अच्छी फसल ले सके, इसको भी सरकार को देखने की जरूरत है। सरकार को यह भी देखना चाहिए कि कीटनाशकों का बुरा असर आदमी और पशुओं पर नहीं होना चाहिए। किसान जब सब्जी के ऊपर कीटनाशकों का इस्तेमाल करता है तो उसका बुरा असर आदमी के ऊपर नहीं होना चाहिए, सब्जी खाने वाले के ऊपर नहीं होना चाहिए। यह भी सोचने की बात है।

मैं माननीय पटवा जी को धन्यवाद देते हुए यही कहना चाहता हूं कि कीटनाशक अच्छी क्वालिटी का हो जिससे केवल अनुपयोगी कीटों को ही मारा जाये, लेकिन जो हमारे मित्र कीट हैं उनकी रक्षा हो सके। मैं कृषि मंत्री जी से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि कीटनाशक अनुपयोगी कीटों को ही मारे न कि किसानों को। मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री और कृषि (श्री सुन्दर लाल पटवा) : सभापति महोदय, एक छोटे से संशोधन विधेयक पर, माननीय सदस्यों ने इतनी बड़ी संख्या में बहस में भाग लेकर जो अपनी रुचि दिखाई है, मैं उन सबका धन्यवाद करता हूं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और उनके सुझावों का स्वागत करता हूं। सामान्यतः इस संशोधन विधेयक का माननीय सदस्यों ने स्वागत किया है और कुछ कमियों की ओर भी ध्यान दिलाया है।

मैं विशेषरूप से खारबेल स्वाइं, श्री राम जीवन सिंह जी. श्री रेड्डी...(व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : इधर के माननीय सदस्यों का भी धन्यवाद कर दीजिए।

श्री सुन्दर लाल पटवा: मैं विशेष रूप से रघुवंश जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने एक मूल समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया। मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा। श्री येरननायडू जी और आन्ध्र प्रदेश सरकार ने इस ओर ध्यान दिलाया और उन्होंने इन सब के लिए प्रयास किया। आज जिन सदस्यों ने समर्थन करते हुए और कुछ सुझाव देते हुए जो कुछ कहा, उन सब को शिरोधार्य करता हूं। श्री सुरेश जादव जी ने ज्यादा तारीफ कर दी इसलिए उनको ज्यादा धन्यवाद देता हूं। मैंने एक सामान्य कार्यकर्त्ता होने के नाते काम करते-करते थोड़ा बहुत समझने और सीखने का प्रयास किया।...(व्यवधान) खूबसूरत तो खुदा की देन है। मैं क्या कहूं? खुदा जब हुस्न देता है तो वह आ ही जाता है।

हमारे सामने आबादी बढ़ने की समस्या थी। इस कारण अन्न का उत्पादन तेजी से बढ़ाने की आवश्यकता थी। जब आदरणीय श्री लाल बहादुर शास्त्री प्रधान मंत्री थे तो पाकिस्तान के साथ संघर्ष के समय अमेरिका ने पीएल 480 गेहूं प्रदान करना बंद कर दिया। उस समय देश के सामने एक चुनौती थी। दुनिया में जहां-जहां अधिकतम अन्न की प्रक्रियाएं या विज्ञान या टैक्नॉलोजी अपनाई गई, विशेष रूप से उस समय मैक्सिकन गेहूं का अवलम्बन किया, हाईब्रीड सीड्स का अवलम्बन किया, इन्सैक्टिसाइड्स, पैस्टिसाइड्स का अवलम्बन किया, हमने उन तरीकों को अपना कर उत्पादन बढ़ाया। मैं इस देश के किसानों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होने चुनौती का सामना किया और उस कमी को पूरा करके बता दिया। उन्होंने कहा कि यह देश अपने पैरों पर खड़ा होने का सामर्थ्य रखता है। उनमें हाईब्रीड सीड, कीटनाशक इन्सैक्टिसाइड्स, पैस्टिसाइड्स, गहरी जुताई, गहरी सिंचाई ये सब प्रक्रियाएं हैं। वह समय की आवश्यकता थी। जो इन प्रक्रियाओं को लाए, उनका इरादा नेक था, लेकिन ये सब पद्धतियां आयु की तरह हैं। जितनी रघुवंश प्रसाद सिंह जी का आयु है, वे उनसे भी कम हैं। ये सब सिस्टम कोई 25 साल में, कोई 50 साल में और कोई 100 साल में इजाद हुए। हम शायद इस बात को विस्मरण कर गए कि इस देश में पांच हजार साल से खेती हो रही है। उस समय इन्सैक्टिसाइड्स, पैस्टिसाइड्स और हाईब्रीड सीड्स नहीं थे, हमारे अपने बीज थे, हमारी अपनी पद्धतियां थी। आपने इनका जिक्र भी किया।

कुछ मित्रों ने जिक्र किया कि आप भी उनमें से कोई ऐसा शोध करो कि शत्रु कीट तो मर जाएं पर मित्र कीट न मरें। कीट मर जाए लेकिन उनका मानव शरीर पर दुष्प्रभाव न हो। यह कैसे सम्भव है? जो कैमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर होते हैं, मानव निर्मित इन्सैक्टिसाइड्स और पैस्टिसाइड्स होते हैं, उनकी उम्र बहुत कम होती है और वह भी प्रयोगावस्था में।

17.00 hrs.

बॉयो-कैमिकल्स, बॉयो-फर्टिलाइज़र्स और बॉयो-पैस्टीसाइड्स का ज़िक्र आया। यह प्रयोगों ने सिद्ध किया है और मैं उस दिन को देखने के लिये इस धरती पर रहना चाहता हूं कि जब इस देश से कैमिकल फर्टिलाइजर, इन्सैक्टीसाइड और पैस्टीसाइड विदा होकर, हमारे अपने बॉयो मित्रजीवी उपाय आज़मायें जायेंगे। उत्पादन में किसी प्रकार की कमी न होते हुये हम जिस पद्धति को खेती के उत्पादन में पिछले पांच हजार साल से बनाये रखे हैं, उन उपायों की तरफ लोगों का ध्यान जा रहा है। हमारे एक मित्र श्री खारबेला स्वैन ने कहा कि लोग तीन गुना पैसा देकर भी वह उत्पादन तकनीक खरीदने को तैयार हैं जिसमें कैमिकल फर्टिलाइजर, इन्सैक्टीसाइड्स और पैस्टीसाइड्स का उपयोग न होता हो। उससे उत्पादन तो बढ़ता ही है, साथ ही उसका स्वाद और फ्लैवर भी अच्छा बनता है और इस सिस्टम में प्रचुरता में आ जाती है लेकिन यह कुछ समय के लिये ठीक लगता है, उसे ठीक कर रहे हैं लेकिन वह स्थायी उपाय नहीं है। इसलिये जब तक सारी प्राचीन पद्धति स्थापित न हो, आज़माइश न हो जाये, जब तक आज के जो तथाकथित वैज्ञानिक और विद्वान कहे जाते हैं, उनकी मान्यता स्थापित न हो जाये तब तक इस पद्धति पर अवलम्बित होना पड़ेगा। इसके लिये जो इंटिग्रेटेड पैस्ट मैनेजमेंट प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरु किया गया है, उसका उद्देश्य यही था।

सभापति महोदय, श्री राजो सिंह जी ने बड़ा जोरदार भाषण किया पर मैं यह कहने के लिये विवश हूं कि उन्होंने बिल पढ़ा ही नहीं। वे अपना भाषण देकर चले गये। वे कहते हैं कि फलां प्रावधान इस बिल में नहीं है जबकि मैं कहता हूं कि इस बिल में वे सारे प्रावधान हैं। इस बिल में उत्पादकों, कारखाना मालिकों को पकड़ने और उन्हें सजा देने के प्रावधान मौजूद है। ये प्रावधान 1968 तक नहीं थे। हां, उस समय मैं नहीं था लेकिन जो भी थे, जैसा उन्होंने इसे बनाया लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कमी निकाली कि इस बिल में जिन दो धाराओं को प्रतिबंधित करने का अधिकार नहीं है, उन्हे जोड़ने का प्रयास किया गया है। मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि यदि उन्होंने इसे रोकने के लिये कोई उपाय या सुझाव दिया होता तो मैं उसका स्वागत करता।

श्री रवि प्रकाश वर्मा : सभापति महोदय, जब रेफ्रेंस आया तो मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि जो संबंधित नियंत्रक अधिकारी हैं, वे सैम्पल ले रहे हैं, जांच हो रही है, सैम्पल फेल हो रहे हैं लेकिन जो इनफ्यूरियस पैस्टीसाइड्स हैं, उनकी बाजार में निरंतर उपलब्धता बनी हुई है - क्या इससे यह मैसेज जाता है कि प्रशासन में कहीं न कहीं ढील दिखाई देती है। मेहरबानी करके उसका एक्ट में प्रावधान करें।

श्री सुन्दर लाल पटवा: मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं और अगर मैं आपसे यह प्रश्न कर रहा हूं तो गलत नहीं कर रहा हूं। क्या हमारे जांचकर्ता अधिकारी प्रामाणिक नहीं हैं, क्या हमारी टैस्टिंग लैबोरेट्रीज प्रामाणिक नहीं हैं, क्या निर्णय देने वाले हमारे न्यायाधीश प्रामाणिक नहीं हैं? यह सब होते हुये भी कहीं तो मूल में दोष है और उस दोष का निवारण करने के लिये यदि कोई उपाय हों या सुझाव हों तो उनका मैं स्वागत करूंगा, उनका समर्थन करूंगा और उन्हें अपनाने का प्रयास करूंगा।

सभापति महोदय, परन्तु कानून और दंड प्रावधान यह अपवाद के लिये है।

अगर समाज में सब तरफ बुराई व्याप्त हो जाए तो कानून व्यर्थ हो जाता है, उसका कोई उपाय नहीं रहता। फिर समाज में से ही कोई न कोई सुधार होता है। शासन, सत्ता अपवाद के लिए है, दंड प्रावधान अपवाद के लिए है। अगर सब कानून तोड़ने लगें तो फिर सत्ता और दंड प्रावधान व्यर्थ हो जाते हैं। मैं मानता हूं कि अभी ऐसा नहीं है। अभी अच्छे लोगों की संख्या ज्यादा है, गड़बड़ करने वाले लोगों की संख्या कम है, इसीलिए यह देश टिका हुआ है और पचास साल से यहां लोकतंत्र फल-फूल रहा है, पनप रहा है। हम विभिन्न प्रकार के चेलेन्जिज में से निकले हैं और निकलकर फूलेंगे-फलेंगे और आगे बढ़ेंगे और दुनिया के एक महान देश के रूप में प्रतिष्ठापित होंगे, इसमें किसी को शक-ओ-शुबह नहीं होना चाहिए। मैंने एक छोटे से उद्देश्य के लिए बिल में संशोधन करने का प्रयास किया है। माननीय सदस्यों ने आम तौर पर इसका समर्थन भी किया है। मैं उन सभी के अलग-अलग नाम गिनाने के बजाय सबको एक साथ धन्यवाद देता हूं, उनका आभार मानता हूं और विशेष रूप से जिन माननीय सदस्यों ने मूल पर उंगली रखी है, नब्ज पर उंगली रखी है, जिनका हाथ नब्ज पर है कि जो सिस्टम है उसमें कहीं न कहीं दोष है, वह परिपूर्ण नहीं है, प्रयोगावस्था में है, परिपूर्ण सिस्टम वही है जिसके आधार पर हमारी खेती पांच हजार वर्षों से चली आ रही है और हम टिके हुए है, उस सिस्टम को हमें अपनाना पड़ेगा। उसे आज अपनायें, कल अपनाएं या चार दिन बाद अपनायें, उसे बढ़ावा देते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इसी निवेदन के साथ मैं फिर से सब माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं और बिल का समर्थन चाहता हूं।

श्री शिवराज वि.पाटील (लातूर) : सभापति महोदय, एक बहुत अच्छा बिल माननीय मंत्री जी हमारे सामने लाये हैं। इस बिल के तीन उद्देश्य नजर आते हैं - पहला यह है कि अगर पेस्टीसाइड्स का मनुय के शरीर पर बुरा परिणाम होता है तो उसे कैसे दूर किया जाए; दूसरा यह है कि दोाी लोगों को ज्यादा सजा कैसे दी जाए और तीसरा जल्दी से जल्दी कैसिज कैसे निपटाये जाएं ताकि लोगों पर असर हो सके। यह बहुत अच्छी बात है और इसका उपयोग होगा। मगर इसके साथ-साथ उन्होंने अपने भाण में एक बात कही और बहुत योग्य रीति से कही, उन्होंने बॉयलोजिकल कंट्रोल ऑफ पैस्ट्स की बात भी कही है। जो अच्छी बात है, मगर उस संबंध में हम जानना चाहते हैं कि सरकार की ओर से जितनी राशि इस काम के लिए देनी चाहिए, क्या सरकार उतनी राशि दे रही है? यह मेरा एक प्रश्न है। मेरा दूसरा प्रश्न है कि हम जेनेटिक कंट्रोल ऑफ पैस्ट्स पर भी पहुंचे हैं और हमारी खुशकिस्मती से हमारी जोरहाट नेशनल लेबोरेटरी में इस प्रकार का प्रयोग किया जा रहा है। हिमालय में जो कुछ वृक्ष है, उनके ऊपर कोई पैस्ट नहीं आता है। उसके जीन निकालकर ये अलग-अलग बीजों में डाल रहे हैं और उस जीन की वजह से ही पैस्ट कंट्रोल हो रहा है। जो ऐसे प्रयोग हो रहे हैं, उनसे एक क्रांति आ सकती है। इसके लिए आज ज्यादा पैसे की आवश्यकता है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। क्या केन्द्र सरकार की ओर से इसमें ज्यादा पैसा दिया जायेगा और क्या इस काम को पूरा करने के लिए मदद दी जायेगी, हम यही जानना चाहते हैं।

श्री सुन्दर लाल पटवा : मैं माननीय पाटील साहब के सुझाव का स्वागत करता हूं। मेरे प्रश्न का उत्तर वही है जो मैं अभी दे चुका हूं कि आधुनिकतम और हमारे अनुकूल जो भी प्रयोग हैं, सिद्ध प्रयोग हैं, उनका स्वागत है। मैं आपसे सहमत हूं कि जितना बजट आबंटन इस मामले में मिलना चाहिए उतना नहीं हैं, लेकिन उसका कारण है कि इसके दुपरिणामों के बारे में अभी उतनी अवेयरनैस नहीं है, जितनी होनी चाहिए। दूसरा मैं संकोच के साथ यह कह सकता हूं कि विभिन्न लॉबियां इतनी ताकतवर हैं कि उनके सामने असंगठित क्षेत्र को खड़ा होने में अभी शायद देर लगेगी, पर दो दिन बाद सही स्थान पर आना पड़ेगा। मैं आपसे सहमत हूं कि कई स्थानों पर कई प्रकार के प्रयोग हुए हैं।

स्वदेशी विज्ञान मेला अभी हमारे मंत्रालय ने आयोजित करने का काम किया था। उसमें बताया गया कि देसी गाय के सींग में गोबर और गोमूत्र मिलाकर एक निश्चित नक्षत्र की निश्चित तिथि के समय जमीन में गाड़ दिया जाए और कुछ समय बाद उसको निकालकर पानी में थोड़ी मात्रा में घोलकर छिड़किये तो सब प्रकार के शत्रु कीट नट हो जाएंगे और मित्र कीट नट नहीं होंगे। यह प्रयोग काफी प्राचीन है, परन्तु यह अभी प्रायोगिक अवस्था में है। इतने बड़े प्रचार-प्रसार का स्वरूप उसने ग्रहण नहीं किया है। शायद समय जल्दी आएगा जब स्वदेशी विज्ञान को लोग स्वीकार करेंगे, उसकी महत्ता और गुणवत्ता को लोग स्वीकार करेंगे।

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That the Bill further to amend the Insecticides Act, 1968, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN : The House will now take up clause by clause consideration of the Bill.

The question is :

"That clauses 2 to 7 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 to 7 were added to the Bill.

MR.CHAIRMAN : The question is:

"That Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title Stand part of the Bill.

The motion was adopted

Clause 1, the Enacting and the Long Title were added to the Bill.

MR. CHAIRMAN : Now the hon. Minister may move that the Bill be passed.

श्री सुन्दर लाल पटवा : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

17.12 hrs.